न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 340/2012

उनवान

1 श्रीमति सोनी देवी पुत्री स्व. श्री बद्रीलाल शर्मा पत्नि रामेश्वर शर्मा निवासी आपलियास तहसील हुरडा , हाल अमरतिया तहसील हुरडा।

–वादीया

बनाम

1 सोहनलाल पिता बद्रीलाल शर्मा, निवासी आपलियास तहसील हुरडा।
2 गौरीशंकर पिता बालुराम शर्मा निवासी आपलियास तहसील हुरडा।
3 कैलाश चन्द्र पिता बालुराम शर्मा निवासी आपलियास तहसील हुरडा।
4 श्यामलाल पिता बालुराम शर्मा ,निवासी आपलियास तहसील हुरडा।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील हुरडा ।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :– श्री गोपाल अजमेरा वकील वादीया ।
श्री गोहम्मद निशार वकील प्रतिवादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 07.05.2018

1– वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के संयुक्त हिस्सेयाबी मिलकियत स्वामित्व शुदा मौरुसी/ पुश्तैनी आराजीयात हाल खाता संख्या– 204 साबिक खाता संख्या– 196 आराजी नम्बर– 420, 423, 427, 428, 429, किता 5 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा एवं हाल खाता संख्या– 36 साबिक खाता संख्या– 37 की अराजी नम्बर– 421, 422, 424, 426, किता 4 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा जो कि वाके ग्राम आपलियास तहसील हुरडा में स्थित होकर आराजीयात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 के नाम दर्ज होकर वादीया एवं प्रतिवादी सख्या– 1 से 4 अपने अपने हिस्से नुसार काबिज काश्त चले आ रहे है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

2 पारीवारिक सजरे अनुसार वाद पत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 01 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 का 1/3 हक हिस्सा निहित है चुँकि उपरोक्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 की पुश्तैनी और मौरुसी होकर वादीया के पिता श्री बद्रीलाल का आज से करीब 45 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चूका है तथा प्रतिवादी संख्या– 01 व प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 के पिता बालुराम ने

Scanned by CamScanner

राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर वादीया के जीवित होते हुये भी वादीया की उपस्थित को छिपाते हुये वादीया की बिना जानकारी के सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 01 व प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 के पिता बालुराम ने अपने नाम पर फैसल करवा लिया और सोहनलाल व बालुराम ने आराजीयात का वादीया की बिना जानकारी के विभाजन करवा आराजी नम्बर– 420, 423, 427, 428, 429 किता 5 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 01 सोहनलाल के नाम व आराजी नम्बर– 421, 422, 424, 426 किता 4 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 के पिता बालुराम के नाम रेकार्ड में दर्ज करवा लिया और प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 के पिता बालुराम के फोत होने के बाद उसका विरासती नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 ने अपने नाम पर फैसल करवा लिया , किन्तु वादीया एवं प्रतिवादीगण उपरोक्तानुसार अपने–अपने हिस्सेनुसार आराजीयात मुतदाविया पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है ।

3 वादीया के हक हिस्से से प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 गलत नामान्तकरण के आधार पर सम्पूर्ण जमीन को भारित करने व अन्य को विक्रय कर कब्जा हस्तान्तरित करने व वादीया को जबरन बेदखल करने पर आमादा है, जिसका कि उनको कोई हक अधिकार नही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4 उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादीया 1/3 का हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है इस बाबत वादीया द्वारा प्रतिवादीगण से लगातार सम्पर्क में रहकर अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु कई मर्तबा प्रयास किया किन्तु फिर भी प्रतिवादीगण ने कोई रुचि नही ली इस वजह से वादीया को वाद पत्र पेश करने बाबत नोईयत पेश हुई है ।

5 वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 की पुश्तैनी होकर काबिज काश्त चले आ रहे है , वादीया अपने हिस्से का राजस्व रेकार्ड में अलग से हिस्सा दर्ज कराकर अपने हिस्से पर कृषि भूमि को विकसित करने एवं नये चाह का निर्माण करने व ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिये हिस्सा विभाजन कराना चाहती है तथा पुश्तैनी हक अधिकारों से उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा की खातदोरी की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने की अधिकारणी है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

6 राजस्व रिकार्ड में वादीया का हिस्सा दर्ज न होने व हिस्सा विभाजन नही होने से वादीया को ऋण प्राप्त करने अपने हिस्सेयाबी आराजी तरक्की देने लगान जमा कराने व सिंचाई इत्यादि में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है । यदि वादीया को उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्से का खातेदारी अधिकार व हिस्सा विभाजन नही किया गया तो पक्षकारान के मध्य में व्यर्थ का विवाद बढेगा तथा मनमुटाव बना रहेगा । चुँकि मौके पर काश्त इत्यादि करने में भी पक्षकारान के द्वारा विवाद किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 गलत नामान्तकरण के आधार पर व जमीन अपने नाम दर्ज होने के कारण

Scanned by CamScanner

नाजायज फायदा उठाते हुये एवं बिना विभाजन कराये ही आराजीयात को दिगर को फरोक्त करने पर आमादा रहते है व जमीन को भारित करने पर आमादा है चुँकि बिना विभाजन कराये आराजीयात दिगारान को फरोक्त कर दी गयी तो वे अच्छी किस्म की भूमि का हस्तान्तरण कर किसी अजनबी खातेदार को कब्जा सम्भला देगें जिससे वादीया के हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा और वादीया को इससे असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति की जाना कतई सम्भव नही होगा ।

7 वादीया खातेदारी घोषणात्मक डिक्री वाद पत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में 1/3 हिस्से की तथा इसी रुह से बटवारें की प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री विरुद्ध प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 के प्राप्त करने की अधिकारणी है, क्योंकि वादीया ने प्रतिवादीगण से सहमति के आधार पर हिस्सा विभाजन कराने का मौखिक निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा अयाम गुजारी की जाती रही है । इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करने बावत चाराजोई पेश हुई ।

8 प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 ने एलानिया धमकी दी है कि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के नाम पर दर्ज होने के कारण वह जमीन को बेचान कर देगे जिन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना निहायत आवश्यक है । क्योंकि यदि प्रतिवादीगण आराजीयात को दिगर को बय बैचान, बक्षीश कर देगे तो वादीया के द्वारा पेशशुदा वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा वादीया अपने हक हिस्से से महरुम हो जायेगी ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9 वाद हेतुक दिनांक 10.07.2012 को वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 से अपने हिस्से की मांग करने पर उनके द्वारा मना करने से शुरु होकर आज दिन तक निरन्तर जारी है ।

10 अन्त में अंकित किया गया कि वादीया का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के इस आशय की पारित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा निहित है तथा वादीया को उसके 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोपित किये जाने की आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें । बटवारें की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी नम्बर– 1 से 4 इस आशय की पारित फरमाई जावे की वाद पत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या– 02 से 04 का संयुक्त 1/3 निहित है । दौराने सुनवाई वादपत्र प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस आशय पर पावन्द फरमाया जावें कि वह आराजीयात मुतदाविया के किसी भी हिस्से को बिना विभजान की डिक्री हासिल कराये दिगर को फरोक्त नही करें, उसका बैचान, पंजियन आदि कार्यवाही का निष्पादन करने कराने एवं आराजीयात को रहन भारित आदि नही करें करावें तथा वादीया को उसके हिस्सेयाबी एवं कब्जेयाबी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त रहने देंवे वादीया को उसके हिस्से की आराजीयात से जबरन बलपूर्वक बेदखल करने

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कराने से भी रुके रहे । इस हेतु स्वयं एवं नोकर चाकर तथा एजेण्ट इत्यादि के मार्फत किसी प्रकार की वेंजा तौर दस्तंदाजी कराने करने की कार्यवाही करने कराने से रुके रहे तथा दौराने सुनवाई वाद पत्र प्रतिवादीगण अपने नाजायज उद्देश्य में सफल हो जावे तो जरिये आज्ञापक निषेधाज्ञा के मार्फत वाद दायरी की स्थिति पुनः प्रतिवादीगण के खर्च से लायी जाने की आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें । माफिक डिकी अनुसार प्रतिवादी नम्बर– 05 को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक घोषणात्मक डिकी एवं बटवारा अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में जुदागाना खातेदारी एवं लगान की तसरीह के साथ राजस्व रेकार्ड में उचित अमल दरामद करें ।

11 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1से 4 की और से उनके अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर दिनांक 16.12.2013 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 5 पैरोकारराज के द्वारा जवाबदावा पेश नही किया गया ।

12 प्रकरण में वाद पत्र व जाववदावा के आधार पर दिनांक 29.09.2014 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

तनकी न.–1	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 से 04 की संयुक्त हिस्सेयावी मौरुसी आराजीयात है ।	–वादी
तनकी न.–2	आया आराजी मुतदाविया पर वादीया व प्रतिवादी नम्बर– 01 से 04 अपने–अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है ।	–वादी
तनकी न.–3	आया वादीया आराजी मुतदाविया में मौरुसी हक अधिकारों से 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा तथा विभाजन कराने की अधिकारिणी है ।	–वादी
तनकी न.–4	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 09 में वर्णित कारणों से वादीया प्रतिवादी नम्बर– 01 से 04 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है ।	–वादी
तनकी न.–5	आया जाववदावा की कलम नम्बर– 18 व 19 में वर्णि कारणों से वादीया प्रतिवादी के विरुद्ध कोई दादरसी प्राप्त करने की अधिकारी नही है ।	–प्र.वा.
तनकी न.–6	आया वादीया का वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज होने योग्य है ।	–प्र.वा.
तनकी न.–7	आया जाववदावा की कलम नम्बर– 23 में वर्णित कारणों से वादीया प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है ।	–प्र.वा.
तनकी न.–8	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 24 में वर्णित कारणों से दावा वादीया खारिज योग्य है ।	–प्र.वा.
तनकी न.–9	अनुतोष	

13 वादीया ने अपने वाद पत्र की ताहीद में पी.डब्लु.–1 सोनी के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श –1 , वादग्रस्त जमीन की जमाबन्दी, प्रदश–2 व प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस प्रदर्श –4 जमाबन्दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ी)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा
Scanned by CamScanner

प्रदश–5 मिलान खसरा और प्रदर्श–6 साबिक जमाबन्दी प्रदर्श –7 जमाबन्दी को प्रदर्श करवाया गया । अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई । प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई ।

14 तत्पश्चात प्रकरण आज केम्प कोर्ट भोजरास पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सोहन लाल , गौरीशंकर, श्यामलाल, व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादीया व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात है जो उनके मौरुस बद्रीलाल के समय की है । बद्रीलाल का पारिवारिक सजरा वाद पत्र की कलम नम्बर– 2 में दर्शित किया गया है । सजरे की रुह से आराजी मुतदाविया में वादीया का 1/3 , प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/3 , प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 का 1/3 हक हिस्से है । वादीया के पिता बद्रीलाल की मृत्यु करीब 50 वर्ष पूर्व हो चूकी है । वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि प्रतिवादीगण के पिता बालुराम ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीया के जीवित होते हुये सम्पूर्ण आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम पर करवा कर विभाजन करवा लिया तथा भूमि विभाजन से आराजी नम्बर– 420, 423, 427, 428, 429 प्रतिवादी संख्या– 1 सोहनलाल के नाम व आराजी नम्बर– 421, 422, 424, 426, प्रतिवादी संख्या– 2 से 4 के पिता बालुराम के नाम दर्ज करवा ली । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतदाविया में वादीया को 1/3 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15 वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि साक्ष्य से सब साबित है । इसके अलावा अन्य कोई कथन नही किया गया ।

16 मैंने वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

17 **तनकी नम्बर–1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीया के द्वारा प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 दस्तावेज को प्रदर्श करवाया गया । वादीया के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत् 2019–2021 मौजा आपलियास तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर– 123, 124 किता 2 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि बद्री पिता गोविन्दराम ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–5 भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2021 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 124 के नये नम्बर– 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429 बनाये जाना स्पष्ट हुआ है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सेटलमेन्ट के पश्चात प्राप्त प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034 मौजा आपलियास तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नम्बर'– 378, 421, 422, 424, 426 किता 5 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा भूमि बालु वल्द बद्री कौम ब्राह्मण साकिन देह के नाम तथा आराजी नम्बर– 420, 423, 427, 428, 429 किता 5 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा भूमि सोहन वल्द बद्री ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । उपरोक्त दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि बद्रीलाल वल्द गोविन्दराम के समय की है । मृतक खातेदार के दो पुत्र सोहनलाल, बालुराम तथा एक पुत्री सोनी होने से वादीया का भी वादग्रस्त भूमि में सोहनलाल व बालुराम के साथ मौरुसी हक अधिकार प्रकट होने से इस तनकी का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है ।

18 **तनकी नम्बर–2 व 3** इन तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । चुँकि तनकी नम्बर– 1 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीया के पिता बद्रीलाल वल्द गोविन्दराम के समय की है , वादीया मृतक खातेदार बद्रीलाल की पुत्री है । पिता की सम्पति में उनके पुत्र पुत्रीयों का जन्मतः अधिकार व कब्जा माना जाने से वादीया आराजी मुतदाविया में 1/3 हिस्से से हक घोषणा करवानें की अधिकारी पाये जाने से इन तनकीयों का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19 **तनकी नम्बर–4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । चुँकि वादग्रस्त भूमि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण 1 से 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है । यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वह आराजी को खुर्द बुर्द कर देगें, बय, बेक्षीस , वैचान कर देगें तो वादीया अपने हक अधिकारों की मौरुसी आराजीयात से वंचित रहकर उसे अंसहनीय क्षति का सामना करना पडेगा । लिहाजा इस तनकी का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है।

20 **तनकी नम्बर–5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि यादीया का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा और न है । ऐसे में कब्जे के अभाव में वादीया का वाद धारा–88 के तहत खारिज योग्य है । चुँकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीया की पुश्तैनी आराजीयात होकर बद्रीलाल के समय की है । और वादीया बद्रीलाल की एकमात्र पुत्री है जिसका वादग्रस्त आराजीयात में विरासत कब्जा है। भले ही उसका भौतिक रुप से कब्जा नही हो । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

21 **तनकी नम्बर–6** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य प्रत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई । प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा में मृतक खातेदार बद्रीलाल के वादीया सोनी के अलावा भी राजी , कोयली, पुत्री होना बताया गया है। यदि राजी, कोयली, बद्रीलाल की पुत्रीयॉ है और वादीया ने अपने वाद पत्र उन्हें पक्षकार नही बनाया है तो प्रतिवादी भी उन्हें आदेश–1 नियम–10 जाप्ता दिवानी की तहत पक्षकार बनाने के लिये स्वतन्त्र थे। काउण्टर क्लेम पेश करने के लिये भी स्वतन्त्र थें । किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा न तो बद्रीलाल की अन्य कोई पुत्रीयों को पक्षकार बनाया गया और न ही काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

22 **तनकी नम्बर–7 व 8** इन तनकीयों को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है । यह दोनो तनकीयॉ एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन तनकीयों के सम्बन्ध में प्रतिवादी का कथन है कि वादीया का विवाह टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व हो गया था , ऐसे में वादीया किसी प्रकार की कोई दादरसी प्राप्त करने के लिये अधिकृत नही है , जैसा कि उपर वर्णित तनकीयों में विवेचन किया जा चूका है । वादग्रस्त आराजीयात वादीया की मौरुसी आराजीयात है और मौरुसी आराजीयात में वादीया का जन्म से हक अधिकार है । ऐसे में वादीया का विवाह टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, उससे वादीया को उसके हक अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23 **तनकी नम्बर–9** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि मृतक खातेदार बद्रीलाल पिता गोविन्दराम के समय की है , खातेदार के दो पुत्र सोहनलाल व बालुराम व एक पुत्री सोनी देवी है । खातेदार बद्रीलाल की मृत्यु के बाद विरासत से सोहनलाल व बालुराम ने वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर आपस में भूमि का विभाजन करवा लिया , जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 में दिये गये प्रावधानों के तहत पिता की सम्पति में पुत्र पुत्रीयों का समान हक हिस्सा माना गया है । और इसी हक अधिकारों के तहत वादीया आराजी मुतदाविया में 1/3 हक हिस्से से अपने नाम हक घोषणा करवाने की अधिकारी पाई जाती है । साथ ही इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीया के पक्ष में हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता है । लिहाजा दावा वादीया स्वीकार किये जाने योग्य है ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा आपलियास तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 420, 423, 427, 428, 429 किता 5 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा तथा आराजी नम्बर– 421, 422, 424, 426 किता 4 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि में

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीया को खातेदारी के साथ 1/3 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें । डिक्री मुर्तिब हो पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें । निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को कैम्प कोर्ट भोजरास पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner